

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०...303.../2022


24.11.2022

आवेदिका सरफुद्दीन पिता विसुन मियाँ, साकिन-भण्डरवा, पोस्ट-करमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
भण्डरवा	254	17	682	04 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...01.../...12.../2022 को प्रस्तुत करें।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा


01.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-भण्डरवा, थाना नं०-254, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-682, रकवा-04 डी० भूमि मुकदमा सं०-2832/2019-20 के द्वारा सरफुद्दीन के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-42 भाग सं०-21 पर जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2020-21 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-05 दिनांक-15.11.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-भण्डरवा, थाना नं०-254, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-682, रकवा-04 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-भण्डरवा, थाना नं०-254, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-682, रकवा-04 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.